

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक

19.04.2024

उनवान

निर्णय दिनांक

23.05.2024

प्रकरण संख्या
149/2024

1. रामलाल पिता गंगाराम जी कुमावत उम्र 62 वर्ष निवासी बोरड़ा, पटवार हल्का गठीला खेड़ा, पोस्ट आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा

- प्रार्थी

बनाम

नंदलाल पिता बरदीचंद ब्राह्मण निवासी सरकारी अस्पताल के सामने वाली गली, महेन्द्रसिंह जी के क्लिनिक वाला मकान पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा मो.नं. 9610510767

लहरी बाई पत्नी माधु कुमावत निवासी बोरड़ा, पटवार हल्का गठीला खेड़ा, पोस्ट आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा

गोवर्धन पिता माधु कुमावत निवासी बोरड़ा, पटवार हल्का गठीला खेड़ा पोस्ट आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा

लाला पिता माधु कुमावत निवासी बोरड़ा, पटवार हल्का गठीला खेड़ा, पोस्ट आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा

रामलाल पिता नंदा कुमावत निवासी बोरड़ा, पटवार हल्का गठीला खेड़ा, पोस्ट आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा मो.नं. 9829699215

उदा पिता मांगीलाल कुमावत निवासी बोरड़ा, पटवार हल्का गठीला खेड़ा, पोस्ट आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा मो.नं. 7877163920

देबी पिता मांगीलाल कुमावत निवासी बोरड़ा, पटवार हल्का गठीला खेड़ा, पोस्ट आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा मो.नं. 9928250712

नाथी पत्नी मांगीलाल कुमावत निवासी बोरड़ा, पटवार हल्का गठीला खेड़ा, पोस्ट आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा


लालू पिता श्रीकिशन कुमावत निवासी बोरड़ा, पटवार हल्का गठीला खेड़ा, पोस्ट आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा मो.नं. 9784088840

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी भैरूलाल जी बापना
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

